संख्या-1135/पाँच-6-2001-294/96

प्रेषक,

श्री सुजीत बनर्जी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 27 जून, 2001

विषय: उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3975/5-6-97-294/96, दिनांक 01 जनवरी, 1998 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश द्वारा किये गये अधिकारों के प्रतिनिधायन के अन्तर्गत रू0 10,000/=से अधिक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी निदेशक, चिकित्सा हैं। इस प्रकार के दावों के बड़ी संख्या में प्राप्त होने के कारण निदेशक, चिकित्सा के स्तर पर परीक्षण एवं प्रतिहस्ताक्षर करने की केन्द्रीकृत व्यवस्था से इनके त्वरित निस्तारण में अनुभव की जा रही व्यवहारिक कठिनाईयों तथा चिकित्सा उपचार, पैथालाजिकल टेस्ट और दवाओं के मूल्यों में हुयी वृद्धि को दृष्टिगत करते हुए शासन ने सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करके इसे सरल बनाने और शासन के प्रशासनिक विभागों को किये गये प्रतिनिधायन की सीमा बढाने का निर्णय लिया है।

2- अतएव राज्यपाल महोदय प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर तथा स्वीकृति हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का आदेश प्रदान करते हैं :-

क्रमशः= = = = =ः 2 ः

प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	प्रतिहस्ताक्षर-कर्ता अधिकारी	स्वीकर्ता ऊ
(क) प्रदेश के अन्दर		
(1) 2,000 रुपये तक	राजकीय चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ अधीक्षक जहां उपचार किया गया हो अथवा जहां से संदर्भित किया गया हो ।	कार्यालयाध्यक्ष ।
(2) 2,000 रुपये से अधिक किन्तु 10,000 रुपये तक	उपचार करने वाले अथवा संदर्भित करने वाले राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक ।	विभागाध्यक्ष ।
(3) 10,000 रुपये से अधिक किन्तु रु0 50,000तक ।	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं हैं वहां संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	शासन के प्रशासकीय विभाग ।
(4) रु0 50,000 से अधिक	--तदैव--	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से ।
(ख) प्रदेश के बाहर किन्तु देश के अन्दर		
समस्त मामले	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं हैं वहां संयुक्त निदेशक, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से ।

क्रमशः (3)

3- सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को अथवा उस कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जहां से वह सेवानिवृत्त हुए हों ।

4- इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों का तकनीकी परीक्षण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल, वह मण्डल माना जायेगा, जहां से ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी की पेंशन आहरित की जाती है। प्रदेश के बाहर पेंशन आहरित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनका मण्डल वहीं माना जायेगा, कि जिस मण्डल से कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हो ।

5- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्राप्त होने के पश्चात कियम्बतम एक माह के भीतर तकनीकी परीक्षण करा कर इसे प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के कार्यालयाध्यक्ष को वापस किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जो सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी से स्वीकृति आदेश प्राप्त करेंगे ।

6- सेवारत कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तर-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी। यदि प्रशासकीय विभाग द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर-2 के बिन्दु ॥1॥ व ॥2॥ में उल्लिखित रू0 10,000/= तक के दावे को किन्हीं कारणों वश सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और जिन मण्डलों में अपर निदेशक नहीं हैं वहां संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को तकनीकी परीक्षण हेतु भेजा जाता है तो उसे परीक्षण करके प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त उसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के प्रशासकीय विभाग को वापस किया जाय । ऐसे दावे किसी भी दशा में बिना परीक्षण के वापस नहीं किये जाने चाहिए ।

7- गैर सरकारी चिकित्सालयों में उपचार :-
= = = = = = = = = = = = = = =

॥क॥ प्रदेश के भीतर के गैर सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

क्रमशः= = = = ॥ 4 ॥

की दरों पर अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। यदि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान/राजकीय चिकित्सालयों में ऐसी चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध नहीं है तो चिकित्सा विभाग द्वारा ऐसा प्रमाणित किये जाने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी । किन्तु प्रदेश के बाहर ऐसी चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा उपचार कराये जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार यदि चिकित्सक द्वारा किसी विशेष परीक्षण (पैथोलाजिकल, रेडियोलाजिस्ट) हेतु संदर्भित किया जाता है तो ऐसी दशा में ऐसे परीक्षण पर हुए विशेष व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी ।

8- संदर्भित शासनादेश संख्या-3975/5-6-97-294/98, दिनांक 1 जनवरी, 1998 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

9- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे ।

10- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-जी(2)1048/दस-2001, दिनांक 12.06.2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

भवदीय,
हस्ताक्षर
सुजीत बनर्जी
प्रमुख सचिव ।

संख्या-1135(1)/5-6-2001-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- महानिदेशक, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ।
8- निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ ।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
10- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक, जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर
जे0बी0 सिंह
उप सचिव।